का॰ पत्र सं॰ 12024/2/92-रा॰भा॰ (ख-2) दिनांक 06.04.1992

विषय:— संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खंड में की गई सिफारिशें राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खंड में यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये और इसके लिए प्रतिवेदन के पहले खंड में की गई तत्संबंधी सुविधाओं के बारे में सिफारिशों पर और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में शीघ्र कार्रवाई की जाए। समिति की यह सिफारिश को मानते हुए सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91-रा॰भा॰(भा॰), दिनांक 28.11.1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है।

2. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/10/90-रा॰भा॰(ख-2), दिनांक 26 जून, 1990 जारी करते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया गया था कि वे धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें।

3. संसदीय राजभाषा समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करें। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किये जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही जारी किये जायें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाये कि हिंदी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रहे। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही तैयार किये गये हैं, जारी किये जा रहे हैं।

4. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें। इस संदर्भ में जारी किये गये निदेशों की प्रतियां इस विभाग को भी भिजवाएं।